विषय:— राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिषापित अंशदान पेशेवर प्राप्ति लागू की जाना।

उपरोक्त विश्वासान्तरित कृपया मध्यप्रदेश शासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एक—9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 29 दिसंबर, 2005 (छाया प्रति सलाम) एवं परिपत्र क्रमांक एक—9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 22.5.2010 (छाया प्रति सलाम) का अवलोकन करने का कार्य करें। इस योजना में राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपकरणों/विकास प्राधिकरणों/नगर निकायों जिनमें वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निर्विवाद लाप में इन्हें पेशेवर प्राप्ति प्राप्त है, के दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना था। इसी अनुसार में परिपत्र दिनांक 22.5.2010 के द्वारा परिषारित अंशदान के रूप में जमा की जाने वाली राशि तथा इसके विभागान्त हेतु प्रक्रियाओं के विषय से सर्वसाधारण विवादों का अवगत कराया गया था तथा अनुरोध किया गया था, कि योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2010 तक अनिवार्य: सम्पन्न कर लें।

2/ उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य शासन के नियंत्रणाधीन कतिपय संस्थाओं द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया गया है।

3/ अतः अनुरोध है कि कृपया विभाग के अधीन कार्यात्मक स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपकरणों/विकास प्राधिकरणों/नगर निकायों को निर्देश जारी करें कि उन संस्थाओं में वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निर्विवाद लाप में पेशेवर प्राप्ति प्राप्त है, के दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों को नवीन परिषारित अंशदान पेशेवर योजना का सदस्य बनाए एवं, निर्धारित प्रक्रियानुसार, उनके देश से राशि काटी जाए तथा संस्था का अंशदान भी नियमित रूप से जमा कराया जाय।

निरंतर...2
राज्य शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि रोकने पर विचार किया जा सकता है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

(अजय नाथ)

प्रमुख सचिव, 10-11

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक /09/2012

12/10/2012

पूरे को एफ-9/3/2003/नियम/चार,

प्रतिलिपि:—

1.— आयुक्त, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मध्य प्रदेश शासन
कित कान्फेर
बल्लभ भवन-मंजूलाल-भोपाल

क्रमांक:एक -9/3/2003/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

शासन के समस्त विभाग
अधिकार, राजस्त्र मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिषनर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

पारम्पर- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना ।

उपर्युक्त- विभाग का शासन क्रमांक:एक -9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13अप्रैल, 2005

-***-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पर्याप्त नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली योजना राज्य शासन के नियोजन अधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / निगमों /मंडलों /सर्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मार्गों में राज्य शासन के कर्मचारियों के समन्वय निर्देशित अंशदान पेंशन प्रणाली प्रस्तुत है, के दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को लागू की जाए।

इस संबंध में विभाग के शासन क्रमांक एक: 9/3/2003/नियम/चार , दिनांक 13अप्रैल, 2005 द्वारा जारी निर्देशों का प्रती संशोधन है ।

इस संबंध में कुप्रथा आपके अधीन कार्यरत स्वशासी संस्थाओं /विश्वविद्यालयों /निगमों / मंडलों /सर्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार
(सुभिष्ट यास)

मध्य प्रदेश शासन, विभाग
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
बलाथ भवन, मंत्रालय, भोपाल
क्रमांक F. 9-3/2003/नियम चार
भोपाल, दिनांक 22-5-2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः—राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अतिरिक्त इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

संदर्भः—वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 29-12-2005.

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप के द्वारा राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली दिनांक 01-01-2005 के पूर्व प्रचालित थी, के दिनांक 01-01-2005 अतिरिक्त इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी (प्रति संलग्न)।

वित्त विभाग के उपरोक्त आदेशों के अनुरूप इन संस्थाओं में परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की जाती है जो कर्मचारियों से उनके मूल वेतन एवं महंगाई भति का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान के रूप में कटा जा रहा होगा, साथ ही योजना में दिए गए निदेशों के अनुरूप नियोजक अंशदान भी जमा किया जा रहा होगा।
वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन भारत शासन के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है एवं कर्मचारियों के अंशदान को नियोजित अंशदान सहित प्रतिमाह निवेश के लिए प्रणाली में निर्माण की उपलब्धि कराया जा रहा है। इसी अनुसार अंशदायी पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में किए जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

1. अंशदायी पेंशन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हों। नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व कर्मचारियों के अंशदान की कटेटी, नियोजक अंशदान सम्मानित करने एवं रिकार्ड की इंट्रेंसी को समय पर भुगतान किए जाने पर निर्यंत्रण रखना होगा।

2. स्वशासी संस्थाओं में अंशदायी पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए अपनानी जाने वाली प्रक्रिया का वित्तीय विवरण संलग्न टोल में दर्शाया गया है। तदनुसार समस्त विभाग अपने अधीनस्थ स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन को कार्यवाही 30 जून 2010 तक अनिवार्य है। समय कर लें ताकि माह जुलाई में बागत के वेतन से राशि का निवेश किया जा रहा संभव हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

[चिन्ह]

(जी.पी. सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
चित्र विभाग.
प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजधानी, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल.
3. निवंचक, दच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर.
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
8. मुख्य निर्बाचित पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव राज्य निर्बाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. रजिस्ट्रर, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर.
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर.
12. महालेखकार (लेखा और हककारी)/(आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परिषद मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. आयुक्त, जनसंचार संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
16. निवंचक, शासनकी जनत्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राज्य में प्रकाशन के लिए,